राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और वशि्लेषण केंद्र

प्रलिमि्स के लयि:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (National Investigation Agency - NIA), राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और वशि्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC), अपराध और आपराधकि ट्रैकगि नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)।

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और वशि्लेषण केंद्र, आंतरकि सुरक्षा के लयि चुनौतयाँ पैदा करने में बाहरी राज्य तथा गैर-राज्य अभकिर्त्ता की भूमकिा।

स्रोत: द हदि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (National Investigation Agency - NIA) ने **राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और वशि्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC)** वकिसति कयिा है जो सरकार को वभिन्नि स्रोतों से आतंकवादयिों तथा उनके सहयोगयिों के बारे में जानकारी एकत्र एवं संकलति करने का काम करता है।

- NIA ने पहली बार **इंडयिन मुजाहदीन** और **लश्कर-ए-तैयबा** के साथ-साथ खालस्तिानी आतंकवादी समूहों सहति सभी आतंकवादयिों का ववरिण एकत्र कयिा है।

राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन एवं वशि्लेषण केंद्र (NTDFAC) क्या है?

- **परचिय:**
  - **NTDFAC** को अमेरकिा के **वैश्वकि आतंकवाद डेटाबेस (Global Terrorism Database - GTD)** की तर्ज़ पर तैयार कयिा गया है।
    - GTD का प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरकिा में मैरीलैंड वशि्वदि्यालय में स्थति नेशनल कंसोर्टयिम फॉर द स्टडी ऑफ टेररज़िम एंड रस्पिॉन्स टू टेररज़िम (START) द्वारा कयिा जाता है।
    - GTD एक सार्वजनकि रूप से सुलभ डेटाबेस है जो वैश्वकि स्तर पर आतंकवादी घटनाओं पर डेटा एकत्रति और वशि्लेषण करता है। यह प्रत्येक घटना के वभिन्नि पहलुओं पर वस्तिृत जानकारी प्रदान करता है, जसिमें तारीख, स्थान, इस्तेमाल कयि गए हथयिार, अपनाई गई रणनीति, लक्ष्य और हताहतों की संख्या शामलि है।
  - यह आतंकवाद तथा देश में सक्रयि आतंकवादयिों से संबंधति जानकारी के लयि एक **केंद्रीकृत डेटाबेस और वशि्लेषण केंद्र** के रूप में काम करेगा।
    - वर्ष 2023 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलसि बलों और आतंकवाद रोधी एजेंसयिों को नए आतंकवादी समूहों के गठन को रोकने के लयि एक दृष्टकिोण अपनाने के लयि कहा था।
- **प्रमुख वशिेषताएँ:**
  - **व्यापक डेटाबेस:** इसमें केस हस्टि्री, फगिरप्रटि, वीडयिो, तस्वीरें और सोशल मीडयिा प्रोफाइल शामलि हैं, जो आतंकवादी गतविधियिों में शामलि व्यक्तयिों का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं।
  - **स्वचालति फगिरप्रटि पहचान प्रणाली:** NTDFAC में **राष्ट्रीय स्वचालति फगिरप्रटि पहचान प्रणाली (National Automated Fingerprint Identification System - NAFIS) शामलि है जसिमें 92 लाख से अधकि फगिरप्रटि रकिॉर्ड हैं।**
    - यह फगिरप्रटि डेटा के आधार पर व्यक्तयिों की **त्वरति और सटीक पहचान** में सहायता करता है।
  - **चेहरा पहचानयुक्त प्रणाली:** यह **चेहरा पहचान प्रणाली (face recognition system)** से सुसज्जति है, जो **CCTV फुटेज से संदग्धिों की तस्वीरों को स्कैन करने में सक्षम बनाता है,** साथ ही यह तकनीक आतंकवादी गतविधियिों में शामलि व्यक्तयिों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने में मदद करती है।
  - **राज्य पुलसि बलों के लयि सहायक: NTDFAC न केवल NIA अधकिारयिों की सहायता करता है बल्कि संदग्धिों के ववरिण की पहचान करने में राज्य पुलसि बलों की भी सहायता** करता है।

- राज्य पुलिस बल अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये केंद्रीकृत सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (National Automated Fingerprint Identification System- NAFIS) क्या है?

- **परिचय:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau - NCRB) द्वारा संकल्पित और प्रबंधित, यह **अपराध तथा आपराधिक-संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है।**
  - वेब आधारित यह एप्लिकेशन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके एक केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **वेब-आधारित अनुप्रयोग (Application):** यह प्रणाली एक वेब-आधारित एप्लिकेशन के रूप में काम करती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24x7 आधार पर वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट डेटा तक पहुँचने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है।
  - **विशिष्ट पहचानकर्त्ता:** NAFIS किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय **10-अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर** (NFN) प्रदान करता है।
    - इस विशिष्ट आईडी का उपयोग व्यक्ति के जीवनकाल तक किया जा सकता है और **विभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा।**
  - **CCTNS के साथ एकीकरण:** NAFIS बैकएंड पर अपराध तथा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) डेटाबेस से जुड़ा है, जो CCNTS में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिये एक विशिष्ट पहचानकर्त्ता प्रदान करता है।
  - **रीयल-टाइम डेटा अपलोड और पुनःप्राप्ति:** यह प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट डेटा अपलोड करने, ट्रेस करने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे आपराधिक पहचान प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ जाती है।
  - **प्रणालियों के लिये प्रतिस्थापन:** NAFIS भारत में स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणालियों की शृंखला में नवीनतम पुनरावृत्ति है जिसे **पुरानी प्रणाली FACTS 5.0** के स्थान पर लाया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) क्या है?

- **परिचय:**
  - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो **आतंकवाद, उग्रवाद** और **अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार** है। **इसमें शामिल है:**
    - विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध।
    - परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
    - हथियारों, नशीली दवाओं और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ।
    - संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों तथा प्रस्तावों को लागू करने के लिये पारित वैधानिक कानूनों का उल्लंघन।
  - इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
  - एजेंसी को गृह मंत्रालय की लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच से निपटने का अधिकार है।
  - **मुख्यालय: नई दिल्ली**
- **स्थापना:**
  - वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
- **अधिकार क्षेत्र:**
  - जिस कानून के तहत एजेंसी काम करती है **वह पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।**
  - **सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति,** चाहे वे कहीं भी तैनात हों।
  - **भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर सवार व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों।**
  - **वे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत से बाहर कोई अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।**

सूचीबद्ध अपराध क्या होते हैं?

- अधिनियम की अनुसूची उन **अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जाँच के साथ ही NIA** द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- **सूची में शामिल हैं:**
  - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
  - परमाणु ऊर्जा अधिनियम
  - गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
  - अपहरण विरोधी अधिनियम
  - नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी अधिनियमों का दमन

- सार्क अभसिमय (आतंकवाद का दमन) अधनियिम
- महाद्वीपीय शेल्फ अधनियिम पर समुद्री नेवगिेशन और नशि्चति प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खलिाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन
- सामूहकि वनिाश के हथयिार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतविधियिाँ नषिेध) अधनियिम
- भारतीय दंड संहति, शस्त्र अधनियिम और सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम के तहत कोई अन्य प्रासंगकि अपराध।
- नारकोटकि ड्रग्स एंड साइकोट्रोपकि सबस्टेंस एक्ट

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न. आतंकवाद का अभशिाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लयि एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लयि आप क्या उपाय सुझाएंगे? आतंकवादी फंडगि के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017)

प्रश्न. भारत की आंतरकि सुरक्षा के लयि बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतयिों का वशि्लेषण कीजयि। इन संकटों का मुकाबला करनेके लयि आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजयि।(2021)